दैनिक जागरण (दैनिक समाचार पत्र) हिन्दी
4-11-15

987/977

केंद्रीय मंत्री बालियान की खरी-खरी

एक ही रेस में दौड़ाए जा रहे हैं गधे और घोड़े

P-16

- कृषि वैज्ञानिकों की चयन प्रक्रिया पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल
- प्रणाली में सुधार जरूरी, जमीनी काम करने वालों को मिले तरजीह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इसमें सुधार पर जोर दिया है। चयन मंडल के 42वें स्थापना दिवस पर डॉ. बालियान ने कृषि वैज्ञानिकों के चयन और उनकी प्रोन्नति में होने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, 'कृषि क्षेत्र में गधे और घोड़े एक ही रेस में दौड़ाए जा रहे हैं। इनमें फर्क करना बहुत जरूरी है।' उन्होंने चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि प्रमुख वैज्ञानिक पद पर पहुंचने के साथ ही अफसर वास्तविक कामकाज से तौबा कर लेते हैं। वे अंदरूनी राजनीति, वेतनमान में बढ़ोतरी और विदेश दौरे के इंतजाम में जुट जाते हैं। इससे न खेती का भला होता है और न ही किसानों का। चयन प्रक्रिया की खामियों और अदूरदर्शी नियमों की वजह से ऐसा होता है।

महिला वैज्ञानिकों के खेती में बढ़ते रुझान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, बालियान ने कहा कि इसमें कुछ खामियां भी हैं। पति-पत्नी के एक स्थान पर नियुक्ति के नियम के चलते भी अलग तरह की मुश्किल पैदा हो रही है। मरुभूमि खेती के वैज्ञानिक की पत्नी अगर बागवानी वाली निकली, तो दोनों को एक साथ रखना टेढ़ी खीर हो जाती है। ऐसे में दोनों में से किसी एक वैज्ञानिक का ही उपयोग संभव है।

उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान की सिफारिश आने वाली है। इसमें सभी घोड़े और गधे एक ही डंडे से हांके जाएंगे। इसमें अंतर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी शोध पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित कराकर ज्यादातर वैज्ञानिक ऊंचे ओहदे के काबिल मान लिए जाते हैं। लेकिन, जो वैज्ञानिक जमीनी तौर पर अनुसंधान करते हैं, उनके आगे बढ़ने के रास्ते लगभग बंद से हैं। इस विरोधाभास को खत्म करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के प्रबंधकों को आगाह करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें भी सोचना होगा कि आखिर कृषि वैज्ञानिकों का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? केवल कुछ चुनिंदा कृषि संस्थानों के अभ्यर्थियों को ही चयन करने पर आने वाले दिनों में सवाल उठ सकते हैं। चयन प्रक्रिया में स्कोर कार्ड बनाने की प्रक्रिया केवल मशीनी न हो जाए, बल्कि व्यावहारिक होने चाहिए।

P-8

वैज्ञानिक भर्ती प्रक्रिया में हो सुधार : बालियान

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने मनाया स्थापना दिवस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को वरीयता मिलनी चाहिए। ऐसा करके ही कृषि का भला होगा। आज के समय में अधिकांश वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हें किसानों व कृषि की समस्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये किसानों के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। ये बातें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के 42वें स्थापना दिवस पर पूसा संस्थान में कहीं।

कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि देश में अनेक संस्थान ऐसे हैं जहां वैज्ञानिकों की सख्त जरूरत है। कहीं वैज्ञानिकों की संख्या काफी अधिक है तो कहीं रिक्तियों की भरमार है। यही हाल वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए निकाले जाने वाले पदों में भी देखने को मिलता है। किसी वर्ष किसी संकाय में रिक्तियों की भरमार होती है तो किसी वर्ष एक भी रिक्ति नहीं होती है। इन विसंगतियों को दूर करना होगा। संजीव बालियान ने कहा कि वैज्ञानिकों को महानगरों में ही रहने का मोह त्यागना होगा।

एकीकृत कैडर की मांग को लेकर प्रदर्शन

जासं, पश्चिमी दिल्ली : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले अनुसंधान संस्थानों में तैनात सहायकों व निजी सहायकों के कैडर को एकीकृत करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पूसा संस्थान परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वेतन आयोग में परिषद के मुख्यालय एवं इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों में कार्यरत सहायकों के वेतनमान समान रहे, लेकिन चौथे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान में परिषद द्वारा विसंगति उत्पन्न कर दी गई थी। इस विसंगति को भारत सरकार के यूनियन कैबिनेट की ओर से दूर किया गया था। इस बाबत परिषद की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई थी लेकिन अधिसूचना को परिषद की ओर से लागू नहीं किया गया।

[illegible] 4/11/15
प्रभारी, समाचार पत्र अनुभाग

1. निजी सचिव, निदेशक, भा॰ कृ॰ अ॰ सं॰
2. " सह निदेशक (अनुसंधान) "
3. " " (प्रसार) "
4. " " (शिक्षा) "
5. प्रभारी, पी॰ पी॰ आर॰ [illegible] "
6. प्रभारी, कैटैट "
7. प्रभारी, [illegible] "